



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 183/2024 अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

1. राजपाल पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी झैदासर तहसील पल्लू नाबालिग जरीये कुदरती बली माता खुद निरमा पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट निवासी झैदासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. सुमन पुत्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी झैदासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढनाबालिग जरीये कुदरती बली माता खुद निरमा पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट निवासी झैदासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. सुखी डेलु पुत्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी झैदासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ नाबालिग जरीये कुदरती बली माता खुद निरमा पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट निवासी झैदासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-वादीगण

बनाम

1. कृष्ण पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार ( राजस्व ) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बनवारीलाल जोशी वकील-वादीगण  
श्री रोहिताश वकील प्रतिवादी सं. 1  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 29-07-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा झैदासर के ख.नं. 98/1 की 2.276 है. भूमि के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29-07-2024 को जारी की गई।

017  
(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर